

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक-एफ.10(21)आयु./2019

जयपुर, दिनांक :- 29 SEP 2019


-: आदेश :-

यूनानी चिकित्सा विभागान्तर्गत लोक हिता एवं प्रशासनिक कारणों से निम्नांकित यूनानी चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाग के सामुदायिक अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क.स.	नाम अधिकारी	पद	वर्तमान पदस्थापन	वांछित पदस्थापन	विवरण
1	डॉ. हरनाथ सिंह गोरा	यूनानी चिकित्साधिकारी	राज.यूनानी चिकि० चौमूं से सीएचसी सुरजगढ-झुन्डुनू (स्थानान्तरणाधीन)	राज.यूनानी.ओप. श्रीगांधीपुर-सीकर	डॉ. रामनिवास सिंह गोरा के स्थान पर
2	डॉ. रामनिवास सिंह गोरा	यूनानी चिकित्साधिकारी	राज.यूनानी.ओप. श्रीगांधीपुर-सीकर	सीएचसी सुरजगढ-झुन्डुनू	डॉ. हरनाथ सिंह गोरा के स्थान पर
3	डॉ. मोहम्मद अकरम	यूनानी चिकित्साधिकारी	सामान्य चिकि. अलवर	राज.यूनानी चिकि. अलवर	रिक्त पद पर
4	डॉ. सुहेल इकवाल	यूनानी चिकित्साधिकारी	राज० युनानी दवाखाना घोसिंगा-भरतपुर	राज.यूनानी.ओप. वीकानेर हाउस -नई दिल्ली	रिक्त पद पर
5	डॉ. मोहम्मद फारुख बेग	यूनानी चिकित्साधिकारी	राज.यूनानी ओप. वेगूं-धिरतौडगढ	राज.यूनानी चिकि. घण्टाघर, कोटा	रिक्त पद पर
6	डॉ. शकरुल्लाह	यूनानी चिकित्साधिकारी	सीएचसी टपुकडा-अलवर	राज.यूनानी ओप. खलीफों की बावडी-वाडमः	रिक्त पद पर

नोट:-

- उपर्युक्त को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में ममनीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।
- जिन जिलों में विधानसभा उप चुनाव-2019 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हैं, वहां पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। इस क्रम में संबंधित के आदेश आदर्श आचार संहिता संशोधन होने पर क्रियान्वित किये जावे।

आज्ञा से,

 (आर.एन.शर्मा)
 उप शासन सचिव

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष गवना, रोक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर 302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल-Rajunani444@yahoo.in

क्रमांक: प्रति.1/चिकि./स्था./2019-20/5004.09

दिनांक:-29.09.19

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय ।
2. निजी सचिव शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय/जिला चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी.... ।
5. संबन्धित श्री
6. नोडल अधिकारी वेबसाइट को देकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली /लेखा शाखा कार्यालय हाजा ।

मो. देवकाश
निदेशक